

396

पत्रिका-5

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

जयपुर दिनांक 12.05.08

जयपुर दिनांक 12.05.08

33/5/08

राज्य,
जयपुर नगर प्राधिकरण,
जयपुर

राज्य,
नगर विकास विभाग,
जयपुर

विषय :- समाचार पत्रों को भूमि आवंटन यावत्

संदर्भ :- विभाग का आदेश क्रमांक 3(63)नवि/3/2005
दिनांक 05.04.07

महोदय,

उपरोक्त विषयान्वयित समाचार पत्रों को आवंटित भूमि के संदर्भ इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 3(63)नवि/3/2005 दिनांक-05.04.07 के अन्तिम पैरा में अंकित 30 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष किया जाता है। इसे अब निम्नानुसार पढ़ा जाये :-

"However the above permission shall be accorded in those case in which the registration of news paper is older than 20 years and is situated/regularly published in State of Rajasthan."

उक्त आदेश में अंकित अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

भवदीय

(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव
टेलीफोन नं. 5116298

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राजभाषा महोदय, नगरीय विकास एवं आवासान विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजभाषा शासन विभाग।
5. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर नगर प्राधिकरण, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. मुख्य नगर निगमजय, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय विकास विभाग जयपुर।
10. शासन अध्यक्ष/सचिव, नगर विकास विभाग।
11. उचित पत्रावली।

शासन उप सचिव

(227)